

मध्य प्रदेश शासन  
सामाजिक न्याय विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16.04.2013  
25.4.13

क्रं. 541/26-2/2013/  
प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त, मध्य प्रदेश
2. समस्त कलेक्टर, मध्य प्रदेश
3. समस्त आयुक्त  
नगर निगम, मध्य प्रदेश
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत, मध्य प्रदेश
5. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक  
सामाजिक न्याय, मध्य प्रदेश
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जनपद पंचायत, मध्य प्रदेश
7. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगर पालिका/नगर परिषद, मध्य प्रदेश

विषय: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (IGNOAPS) प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय करना  
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय करना  
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना (IGNDPS), प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय के  
संबंध में।

संदर्भ:- लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 308-05-01-2010 दिनांक  
24.09.2011 में शामिल सेवा क्रमांक 7.2, 7.3 एवं 7.4

-0-

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था, विधवा एवं निःशक्त पेंशन योजना संचालित की जा रही है। योजनाओं का क्रियान्वयन एवं संचालन म0प्र0 शासन, सामाजिक न्याय विभाग द्वारा किया जा रहा है।

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग के कार्यालयीन ज्ञापन के समसंख्यक क्रमांक/जे- 11015/1/2012/एनएसएपी दिनांक 8 नवम्बर 2012 के द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत मौजूदा पेंशन योजनाओं में आयु सीमा एवं पेंशन राशि के मापदण्डों में निम्नानुसार संशोधन किया गया है :-